



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611



भूमि सुरक्षा
LAND SAFETY AND PROTECTION - THE FOREST

पत्रांक- १४७० / 12-1 : देहरादून: दिनांक: २९ मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चक्राधार धरमोली घोंघल से सुकना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/149823/2021)

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-2930/12-1(2) दिनांक 08.05.2025 एवं आपकी पत्र संख्या-6393/12-1 दिनांक 16.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वांछित सूचना प्रेषित की गई है। प्रकरण में कुल 62 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः वन संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार इसमें 10 गुणा अर्थात् 620 वृक्षों के रोपण की स्कीम रु० 2143 प्रति वृक्ष के आधार पर वांछित है। जहाँ पर उक्त वृक्षों का रोपण किया जाना है, प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से उक्त क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी आपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या-१४७० / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग, जनपद-पिथौरागढ़।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।